



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एससी / एसटी एक्ट में 02 अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 18,000/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सिसोलर में पंजीकृत मु0अ0सं0-09/2012 धारा- 323/34,504,506 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.पप्पू उर्फ सुशान्त कुमार पुत्र जगत नारायण 2.कन्नू उर्फ सुशील कुमार पुत्र जगतनारायण नि0गण ग्राम बैजेमऊ थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 18,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक
अभियोजक विजय सिंह



विवेचक-
सीओ के0एल0
चौधरी



पैरोकार
थाना- सिसोलर
हे0का0 धर्मेन्द्र मिश्रा